संख्या-58/2021/790/छप्पन-2021-32(सा0)/2020

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 अप्रैल, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित बजट के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) किये जाने के निर्देश दिये गये है (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा पक्ष के लेखा शीषक ''2070'' तथा ''2203'' के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षकों के मदवार लघु इकाइयों में क्रमश: रूपये 42,63,59,000/- एवम् रूपये 2,55,43,000/- अर्थात कुल रूपये 45,19,02,000/-(रुपये पैंतालीस करोड़ उन्नीस लाख दो हज़ार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनबद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 22 मार्च 2021 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिये जहाँ आवश्यक हो नियमानुसार शासन के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

संलग्नक:यथोक्त

भवदीय,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0 संख्या: 790(1)/छप्पन-2021-32(सा0)/2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(5) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) नियोजन अनुभाग-4

(7) निदेशक, एअरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ एअरपोर्ट, लखनऊ

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।